न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 216 सन 2022

अनवान :–

1. गुडडी पुत्री नागरदास जाति स्वामी निवासी निमला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीया

बनाम

1. रामदास पुत्र नागरदास जाति स्वामी निवासी निमला तहसील नोहर।
2. विजय पुत्र नागरदास जाति स्वामी निवासी निमला तहसील नोहर।
3. विनोद पुत्र नागरदास जाति स्वामी निवासी निमला तहसील नोहर।
4. राजेन्द्र पुत्र नागरदास जाति स्वामी निवासी निमला तहसील नोहर।
5. शारदा पुत्री नागरदास जाति स्वामी निवासी निमला तहसील नोहर।
6. कृष्णा पुत्री नागरदास जाति स्वामी निवासी निमला तहसील नोहर।
7. राजबाला पुत्री नागरदास जाति स्वामी निवासी निमला तहसील नोहर।
8. सरस्वती पत्नी नागरदास जाति स्वामी निवासी निमला तहसील नोहर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 22/06/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा नीमला के खाता संख्या 57/53 की कुल 19.8430हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम सयुक्त तौर से 6.5241हैक भूमि दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज जीवनदास पुत्र कानदास के नाम से दर्ज थी जो फोत हो चुके है जीवनदास के दो पुत्र गुलाबदास एव नागरदास थे नागरदास के दो पत्नीया थी एक चुन्नीदेवी एवं दुसरी सरस्वती थी पहली पत्नी चुन्नीदेवी फोत हो चुकी है जिसके एक पुत्र रामदास प्रतिवादी संख्या 1 है तथा दुसरी पत्नी सरस्वती देवी है जिसके वारिस वादीया प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 है।

नागरदास पुत्र जीवणदास के फोत होने पर उसके नाम दर्ज भूमि प्रतिवादी संख्या 8 प्रतिवादी संख्या 1 ता ने अपने नाम दर्ज करवा ली वादीया एव प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 को वाद भूमि से महरूम कर दिया ।

वादीया एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने वाद भूमि के सम्बध में परिवारिक समझौता किया गया जिसके अनुसार नागरदास पुत्र जीवनदास के देहान्ता होने पर विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 , 8 के नाम दर्ज हो गई है को नागरदास के जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम बराबर दर्ज है वादी वाद भूमि को अपने परिवारिक समझौता के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 प्रत्यके 1/9 हिससा दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,8 के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या

ण्ड अधिकारी
नोहर

1 ता 8 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज नागरदास पुत्र जीवनदास के नाम से दर्ज थी नागरदास के देहान्त होने पर उसके हक हिस्सा की भूमि को विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 ता 3, 8 ने अपने नाम दर्ज करवा ली थी जबकि वाद भूमि में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का बराबर का हक हिस्सा था वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने वाद भूमि के सम्बध में परिवारिक समझौता किया जाकर वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम बराबर दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 9 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निरतारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा नीमला के खाता संख्या 57/53 की कुल 19.8430हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम सयुक्त तौर से 6.5241हैक भूमि दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज जीवनदास पुत्र कानदास के नाम से दर्ज थी जो फोत हो चुके है जीवनदास के दो पुत्र गुलाबदास एव नागरदास थे नागरदास के दो पत्नीया थी एक चुन्नीदेवी एवं दुसरी सरस्वती थी पहली पत्नी चुन्नीदेवी फोत हो चुकी है जिसके एक पुत्र रामदास प्रतिवादी संख्या 1 है तथा दुसरी पत्नी सरस्वती देवी है जिसके वारिस वादीया प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 है।

नागरदास पुत्र जीवणदास के फोत होने पर उसके नाम दर्ज भूमि प्रतिवादी संख्या 8 प्रतिवादी संख्या 1 ता ने अपने नाम दर्ज करवा ली वादीया एव प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 को वाद भूमि से महरूम कर दिया ।

वादीया एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने वाद भूमि के सम्बध में परिवारिक समझौता किया गया जिसके अनुसार नागरदास पुत्र जीवनदास के देहान्ता होने पर विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 , 8 के नाम दर्ज हो गई है को नागरदास के जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम बराबर दर्ज है वादी वाद भूमि को अपने परिवारिक समझौता के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 प्रत्यके 1/9 हिससा दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा नीमला के खाता संख्या 57/53 की कुल 19.8430हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम सयुक्त तौर से 6.5241हैक भूमि दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज नागरदास पुत्र जीवनदास के नाम से दर्ज थी नागरदास पुत्र जीवनदास के दो पत्नीया थी एक पत्नी चुन्नीदेवी का देहान्त हो गया है नागरदास की दोनो पत्नीयो से जायज वारिसान वादीया एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 है किन्तु नागरदास के देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने वाद भूमि अपने

नाम दर्ज करवाने पर वादीया एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के मध्य परिवारिक समझौता किया गया जिसमें नगरदास की भूमि वादीया एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम बराबर दर्ज करवाने पर सहमति हुई इसलिये वाद भूमि वादीया एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 बहिब दर्ज करवाने के अधिकारी है वादीया के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल दावा पेश कर निवेदन किया की वाद भूमि वादीया एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है ।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा नीमला के खाता संख्या 57/53 की कुल 19.8430हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम सयुक्त तौर से 6.5241हैक भूमि दर्ज है में वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 प्रत्येक 1/9– 1/9 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 22/06/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6- 7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. मुन्नी पुत्री नागरदास जाति स्वामी निवासी निमला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीया

बनाम

1. रामदास पुत्र नागरदास जाति स्वामी निवासी निमला तहसील नोहर।
2. विजय पुत्र नागरदास जाति स्वामी निवासी निमला तहसील नोहर।
3. विनोद पुत्र नागरदास जाति स्वामी निवासी निमला तहसील नोहर।
4. राजेन्द्र पुत्र नागरदास जाति स्वामी निवासी निमला तहसील नोहर।
5. शारदा पुत्री नागरदास जाति स्वामी निवासी निमला तहसील नोहर।
6. कृष्णा पुत्री नागरदास जाति स्वामी निवासी निमला तहसील नोहर।
7. राजबाला पुत्री नागरदास जाति स्वामी निवासी निमला तहसील नोहर।
8. सरस्वती पत्नी नागरदास जाति स्वामी निवासी निमला तहसील नोहर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 216 सन 2022 निर्णय दिनांक– 22/06/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूती एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा नीमला के खाता संख्या 57/53 की कुल 19.8430हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम सयुक्त तौर से 6.5241हैक भूमि दर्ज है में वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 प्रत्येक 1/9- 1/9 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 22/06/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर